फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

भंवरलाल बनाम शंकरदास

ाही अन्तर्गत 128 PR Act

मुकदमा प्रार्थना पत्र नं. 93 सन् 2021

(2021/182)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/12/2021	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत ग्रा० पं० नेतावलगढ़ पाखली पर आयोजित शिविर में निस्तारण हेतु लायी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण ग्राम नेतावलगढ़पाखली स्थित आराजी संख्या 822, 823 824, 825, 826, 827 कीता 6 कुल रकबा 3.44000 हे० भूमि की पट्टेरगढ़ी करने हेतु आवेदन किया है। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067-2070 अनुसार उक्त आराजीयात प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी हक है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 PR Act स्वीकार किया जाकर ग्राम नेतावलगढ़पाखली स्थित आराजी संख्या 822, 823, 824, 825, 826, 827 कीता 6 कुल रकबा 3.44000 हे० भूमि की बिना किसी के कब्जे में दखलन्दाजी किए सेटलमेन्ट नम्बरों अनुसार पट्टेरगढ़ी किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। [illegible] 1500=00 रुपए अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपए प्रार्थीगण वहन करेंगे। पालनार्थ तहसीलदार बस्सी को लिखा जावे कि पक्षकारान [illegible] देकर नियमानुसार पट्टेरगढ़ी [illegible] एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर लम्बर से कम हो।	

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.12.02 11:08:53 IST
Reason: SelfAttested